

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF: 84/2024/EZ

In re: News item titled "Bermo ke mahutand mai avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshaan" appearing in News Wing dated 19.12.2023.

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit filed on behalf of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand.	1-7
2.	Verification	8
3.	Annexure A	9-13
4.	Annexure B	14
5.	Annexure C	15
6.	Annexure D	16-17
7.	Annexure E	18-19
8.	Annexure F	20-22
9.	Annexure G	23-28

**AISHWARYA RAJYASHREE**  
Advocate  
Bar Association Room No. 5,  
High Court, Calcutta  
Chamber: 8/1, K.S. Roy Road, Kolkata: 700001  
(M) 9874995669 Email: [advaish.hc@gmail.com](mailto:advaish.hc@gmail.com)




**ATTESTED**

*S. D. K. Mahto*  
07/08/2024  
**S. D. K. Mahto**  
NOTARY PUBLIC,  
Bokaro (Jharkhand)  
Regn. No -703/16.J



B.D.B.A No. 41828  
SL No. 3143  
Date 07/8/24

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA



IN THE MATTER OF: 84/2024/EZ

Original Application No. 319/2024/PB

In re: News item titled "Bermo ke mahutand mai avaidh balu ke khel mai saikaro tractor se aam log ho rahe pareshaan" appearing in News Wing dated 19.12.2023.

COUNTER AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF DEPUTY COMMISSIONER, BOKARO, GOVERNMENT OF JHARKHAND i.e. RESPONDENT NO. 3 HEREIN.

I, Ravi Kumar Singh, son of Akhilesh Kumar Singh, aged about 31 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Bokaro, Government of Jharkhand, having its office at camp -II, behind bar association, Bokaro Civil Court, PIN – 827001, Dist. - Bokaro, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That, I am the District Mining Officer, Bokaro, Government of Jharkhand, and I am aware of the facts and records in the instant case and have gone through the allegations and contentions of the applicant in the Original Application as such I am competent and duly authorized by the Respondent No. 2 herein, to make and affirm the instant Counter Affidavit.
2. That, I am a law-abiding Citizen of India and very much respect the Constitution and Judicial System of India.



3. That in pursuance and in compliance with the order dated 20.02.2024 of this Hon'ble Tribunal in the instant Original Application, this Affidavit is being filed on behalf of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand i.e., respondent no. 3 to the Original Application.
4. That, the instant Original Application was taken up Suo Moto by the Hon'ble Tribunal based on the news item which was related to illegal sand mining in Mahutand under the Bermo sub-division of Bokaro district (Jharkhand). As per the news item, in Mahutand hundreds of tractors are involved in transporting the illegally mined sand and this activity goes on throughout the night even making it difficult for the residents to sleep and the students to study and is also causing noise pollution. The news item states that the illegally mined sand is sold at a very high rate.
5. That, it is humbly stated and submitted that the Mines and Geology Department, Government of Jharkhand vide its Sankalp 563/MoCo dated 05/10/2005 has constituted a Task Force at the district level to review, follow up and control the illegal mining activities in the district. A District-level Task Force is constituted and a review meeting of the Task Force is conducted regularly and strict directions have been issued to take action against any instances of illegal mining, storage and transportation of minerals.
6. That, the aforesaid District Task Force regularly reviews the matter under the Chairmanship of Deputy Commissioner, Bokaro against illegal mining, transportation and storage of minerals. In the District Task Force meeting held on 28.06.2024, specific direction to keep a strict vigil in the aforesaid



area has been given to the concerned Circle Officer and Police Station Incharge.

A few sample photocopies of proceedings of the task force meetings are annexed and marked as **Annexure-A**.

7. That, it is humbly stated and submitted that an order for the implementation of the guidelines of the Hon'ble NGT passed in O.A. No. 120/2016/EZ, Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016, and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 in the district has been issued vide memo number 995 dated 02.07.2024 of the Deputy Commissioner, Bokaro and strict compliance of the same is being ensured.

A photocopy of the order issued vide memo number 995 dated 02.07.2024 is annexed and marked as **Annexure-B**.

8. That, a summary of First Information Reports against illegal mining of sand in Bokaro district is summarised below for ready reference:

Year	Quantity	No. of vehicles seized	FIRs
2022-23	389.6 tonne	110	78
2023-24	5846 tonne	78	49

9. That, the district administration is committed to stop illegal mining and transportation of sand in Hazaribagh district and the competent officers



under JMMC Rules, 2004 have regularly taken action by way of seizures and penalties during illegal transportation of sand as summarised below:

Year	Quantity	Number of vehicles seized	Penalty realized (Rs)
2022-23	11753 tonne	11	61,85,000
2023-24	174 tonne	31	47,16,000

10. That, it is humbly stated and submitted that the Task Force is regularly taking action against the illegal mining, transportation and storage of minerals in the district. The action is taken in terms of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and rules made thereunder, and also under relevant sections of IPC.

The action(s) taken by the Task Force against illegal mining, transportation and storage of mineral sand in the Mahuatand area is annexed and marked herewith as **Annexure – C**.

11. That, it is humbly stated and submitted that the list of actions taken against the persons involved in illegal mining, transportation and storage of mineral sand in Mahuatand has been forwarded to the Regional Officer, Jharkhand State Pollution Control Board, Dhanbad vide office letter number 796/Khanan dated 14/05/2024, to take action against




them in terms of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

A copy of the letter number 675/Khanan dated 09/04/2024 is annexed and marked herewith as **Annexure D**.

12. That, it is humbly stated and submitted that the District Survey Report of mineral Sand, in consonance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 (SSMG – 2016) and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining (EMGSM – 2020) has been prepared by the Sub-divisional Committee of the District and appraised by the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Jharkhand.

13. That, it is humbly stated and submitted that the operation of Sand Ghats in the State of Jharkhand is governed by the Jharkhand State Sand Mining Policy – 2017 under which the sand ghats have been categorized as Category 1 and Category 2. The Category -1 sand ghats can be used only for non-commercial purposes such as domestic purposes, community purposes, Government Sponsered schemes, etc., or as defined in Appendix – IX of Part – II – Section -3- Sub Section – (ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016. The Category -2 Sand Ghats shall be managed by the Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDCL), which will be used for commercial purposes.

A list of 6 Category-1 and 7 Category-2 Sand Ghats for the Bokaro district is annexed and marked herewith as **Annexure E**.



14. That, it is humbly stated and submitted that the order for operationalization of Category -1 sand Ghats has been issued vide memo number 961 dated 16/05/2023 of the Deputy Commissioner, Bokaro of which (02) two sand Ghats are present in Gomia Anchal. The place Mahuatand also falls within the Gomia Anchal.

A copy of memo number 961 dated 16/05/2023 is annexed and marked herewith as **Annexure F**.

15. That, it is humbly stated and submitted that the financial bid for the selection of MDO for the Category -2 Sand Ghats of the district has been completed and necessary steps for obtaining the statutory clearances are being taken for the operationalization of these Ghats.

16. That, it is humbly stated and submitted that to prevent the transportation of illegal minerals in Bokaro district, check posts had been established at the identified routes and Magistrates were deputed to keep a strict vigil vide memo number 1668/Go dated 31/05/2022. At present, in compliance with the Model Code of Conduct on account of the ensuing general elections, Static Surveillance Teams (SSTs) and Flying Squad Teams (FSTs) have been deputed throughout the district, which also keeps a check on any illegal excavation and transportation of minor mineral sand.

A copy of memo number 1668/M dated 31/05/2022 is annexed and marked herewith as **Annexure G**.



17. That, it is humbly stated and submitted that all necessary steps are being taken to prevent illegal mining, transportation and storage of minerals in the district.

18. That, this Affidavit is filed bonafide and in the interest of justice. It is therefore prayed that Your Lordship may kindly be pleased to accept the instant counter affidavit.

19. I state that the statements contained in paragraphs Nos. 1 to 2 are true to my knowledge, the statements contained in paragraph Nos. 3 to 14 are true to my information derived from the official records of the case, which I verily believe to be true and the rest is/are my respectful submissions before this Hon'ble Tribunal.



VERIFICATION

I, Ravi Kumar Singh, son of Akhilesh Kumar Singh, aged about 31 years, by Religion - Hinduism, by Occupation - Service under the State Government of Jharkhand in the office of District Mining Office, Bokaro, Government of Jharkhand, having its office at camp -II, behind bar association, Bokaro Civil Court, PIN - 827001, Dist. - Bokaro, Jharkhand, and that I am dealing with the connected records of the case in possession of the office of Deputy Commissioner, Bokaro, Government of Jharkhand.

Date:

Place:

Ravi Kumar Singh  
Signature

Identified by me:

[Signature]  
Advocate  
7/8/2024


SPUSMT Ravi Kumar Singh  
ON DULY IDENTIFIED BY THE  
ADVOCATE SPUSMT. H. S. Singh  
SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE  
ME



[Signature]  
5/7/8/2024  
S. D. R. Mahto  
NOTARY PUBLIC  
Bokaro (Jharkhand)  
Regn No -703/16J

FFIDAVIT

Sl. No. .... 41828  
I.D.B.A No. ....  
SL No. .... 3143  
Date. .... 07/08/2024



*S. D. K. Mahto*  
07/08/2024  
S. D. K. Mahto  
NOTARY PUBLIC  
Bokaro (Jharkhand)  
Reg No -703/16J



**जिला खनन कार्यालय, बोकारो।**

दिनांक 28/06/2024 को समय-11:30 A.M. में उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजी के अनुसार।

कार्यवाही :-

1. सर्वप्रथम उपायुक्त, बोकारो द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों/सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
2. उपायुक्त, बोकारो द्वारा पूर्व में दिनांक 20/04/2024 को जिला खनन टास्क फोर्स की हुई बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेश का अनुपालन की समीक्षा की गई।

दिनांक 20/04/24 से 27/06/24 तक प्राप्त प्रतिवेदनानुसार जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया, जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :-

खनिज का नाम	खनिज की मात्रा (टन में)	जप्त वाहनों की संख्या	FIR एवं शिकायत वाद की संख्या	वसूली (लाख में)
1	2	3	4	5
बालू	77	20	7	0.30
पत्थर	11	3	1	0.07
कोयला	150.02	10	3	9.60
कुल	238.02	33	11	9.97

- खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 26/06/2024 को पुलिस बल के साथ बालीडीह थानान्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के दौरान 04 ट्रैक्टर, जिसपर लगभग 100-100 घनफीट बालू लोड था को जप्त करते हुए बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
- खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 27/06/2024 को पुलिस बल के साथ सेक्टर-12 थानान्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन की जांच के दौरान 01 ट्रैक्टर, जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू लोड था को जप्त करते हुए सेक्टर-12 थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो, बी0 एस0 एल0 के पदाधिकारी एवं बल, खान निरीक्षक, बोकारो एवं स्थानीय पुलिस बल के द्वारा हरला थानान्तर्गत भतुआ ग्राम स्थित दामोदर नदी तट से बालू को लोड कर रहे कुल 8 ट्रैक्टरों को जप्त किया गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बलपूर्वक छुड़ा लिया गया, जिसके पश्चात कुल 8 ट्रैक्टरों सहित 04 व्यक्तियों पर हरला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका थाना काण्ड सं0-48/24, दिनांक 22/04/24 है।
- दिनांक 19/04/2024 को बोकारो थर्मल थाना प्रभारी द्वारा जप्त INDO FARM ट्रैक्टर Model No.-3035DI, Eng. No.-C324309046NW, चेचिस संख्या-JNW3035008899 में लोड लगभग 100 घनफीट बालू खनिज के बावत जिला खनन कार्यालय, बोकारो के पत्रांक 739/एम0, दिनांक



24/04/2024 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड सं०-37/24, दिनांक 26/04/2024 है।

- खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 26/04/2024 को प्रभारी, बनगड़िया ओ०पी० द्वारा जप्त ट्रैक्टर ईजन संख्या- RJD2DBN6108, चेचिस नं०- MBNAAADAPJRD01276, जिसपर लगभग 100 घनफीट अवैध बालू खनिज लोड है की जाँच करते हुए बनगड़िया ओ०पी० में प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसका थाना काण्ड सं०-45/24, दिनांक 27/04/2024 है।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, बैरमो के द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रैक्टर वाहन संख्या JH01V-5131, Chassis No.-913913106614, Eng. No. S325B15155, Trolley No.JH09T-6719 जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था के बावत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रू० 10,000/- की वसूली की गई।
- अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रैक्टर EICHER TRACTOR, Eng. No. S325H93527, चेचिस नं०-926013136300, Reg. No.-JH09AH-1851, जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था के बावत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रू० 10,000/- की वसूली की गई।
- अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रैक्टर POWER TRAC 434 PLUS, Eng. No. E3370999, चेचिस नं०-TO53331120MF, Reg. No.-JH09AG-6710, जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था के बावत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए रू० 10,000/- की वसूली की गई।
- खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 29/04/2024 को थाना प्रभारी, कसमार एवं पुलिस बल के साथ अवैध परिवहन की जाँच के क्रम में वाहन सं०-JH10CH-5194 जिसपर लगभग 150 घनफीट पत्थर चिप्स खनिज लोड था को जप्त करते हुए कसमार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसका थाना काण्ड सं०-30/24, दिनांक 29/04/2024 है।
- खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 14/06/2024 को पुलिस बल के साथ अवैध परिवहन की जाँच के क्रम में वाहन सं०-JH09AK-0868 जिसपर लगभग 100 घनफीट बालू खनिज लोड था को जप्त करते हुए जरीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई जिसका थाना काण्ड सं०-79/24, दिनांक 14/06/2024 है।
- दिनांक 29/04/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जैनामोड फोर लेन चौक मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 29/04/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा श्री अभित कुमार, पिता स्व० अनिल कुमार साहू, राँची द्वारा कसमार अंचल के मौजा- बगियारी में धारित पत्थर खनन पट्टा का निरीक्षण किया गया।
- दिनांक 20/04/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा तुपकाडीह चौक मुख्य पथ एवं वालीडीह टोल प्लाजा के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।



- अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के नेतृत्व में कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह एवं अंचल अधिकारी, नावाडीह के संयुक्त औचक निरीक्षण के क्रम में 30 टन अवैध कच्चा कोयला लदे ट्रक एवं 10 टन भण्डारित कोयला खनिज के विरुद्ध अंचल अधिकारी, नावाडीह द्वारा पत्रांक 243, दिनांक 20/04/24 के द्वारा नावाडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसका थाना काण्ड सं०-23/2024, दिनांक 20/04/2024 है।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट) के नेतृत्व में कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह एवं अंचल अधिकारी, नावाडीह के संयुक्त औचक निरीक्षण के क्रम में 30 टन अवैध कच्चा कोयला लदे ट्रक एवं 10 टन भण्डारित कोयला खनिज के विरुद्ध अंचल अधिकारी, नावाडीह द्वारा पत्रांक 243, दिनांक 20/04/24 के द्वारा नावाडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई, जिसका थाना काण्ड सं०-23/2024, दिनांक 20/03/2024 है, जिसकी जाँच खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 20/04/2024 को की गई।
- दिनांक 03/05/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा Tractor Make - John Deere, Model No.-5036D, Chassis No.- 1VY5036DPLA010592, Eng. No. PY3029D575229, जिसपर लगभग 30 घनफीट अवैध बालू खनिज लोड था को जप्त कर महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं०-21/2024, दिनांक 03/05/2024 है।
- दिनांक 07/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जैनामोड़ फोरलेन चौक एवं बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 11/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जैनामोड़ फोरलेन चौक एवं बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 29/04/2024 को थाना प्रभारी, दुग्दा द्वारा कोयला लदे 05 ट्रक एवं दो स्थानों पर भण्डारित लगभग 30 टन अवैध कोयला को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं०-23/2024, दिनांक 29/04/2024 है।
- माननीय खान आयुक्त का न्यायालय, झारखण्ड, राँची का आदेश दिनांक 27/02/2024 ज्ञापांक 564/एम०सी०, राँची, दिनांक 15/03/2024 एवं उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो का आदेश दिनांक 12/04/2024 के आलोक में ट्रैक्टर वाहन रजिस्ट्रेशन नं०-JH01CW-1633, Eng. Sl. No. C324308096NV, चेचिस नं०-INV3035007875, जिसपर लगभग 30 घनफीट स्टोन चिप्स एवं ट्रैक्टर वाहन रजिस्ट्रेशन नं०-JH09AT-5913, Eng. Sl. No. E3469718, चेचिस नं०-TO53418129HG, Trolley No.-JH09U-7244 जिसपर लगभग 100 घनफीट स्टोन चिप्स खनिज लोड था के विरुद्ध नियमानुसार क्रमशः 5898/- एवं 1770/- रू० की वसूली की गई।
- दिनांक 07/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जैनामोड़ फोरलेन चौक एवं बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 11/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा जैनामोड़ फोरलेन चौक एवं बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।



- दिनांक 17/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दाँतू चौक मुख्य पथ पर, बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर एवं तलगड़िया मोड़ मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 22/05/2024 को जिला खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा तलगड़िया मोड़ मुख्य पथ पर एवं बालीडीह थाना के समीप मुख्य पथ पर खनिज लदे वाहनों की जाँच की गई।
- दिनांक 22/05/2024 को पु0अ0नि0-सह-थाना प्रभारी, गाँधीनगर द्वारा दो मोटरसाईकिल, जिसपर लगभग 100-100 किलोग्राम अवैध कोयला लोड था को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं0-76/2024, दिनांक 22/05/2024 है।
- माननीय खान आयुक्त का न्यायालय, झारखण्ड, राँची का आदेश दिनांक 27/02/2024 ज्ञापांक 548/एम0सी0, राँची, दिनांक 12/03/2024 एवं उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो का आदेश दिनांक 09/05/2024 के आलोक में दिनांक 07/09/2022 एवं दिनांक 08/09/2022 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये ट्रक संख्या-CG11AB-7187 जिसपर लगभग 40 टन अवैध कच्चा कोयला एवं ट्रक संख्या-JH12J-7474 एवं उसपर लदा करीब 40 टन अवैध कच्चा कोयला के विरुद्ध नियमानुसार क्रमशः 4,80,000/- एवं 4,80,000/- रू0 की वसूली की गई।
- दिनांक 29/04/2024 को थाना प्रभारी, दुग्दा द्वारा कोयला लदे 05 ट्रक एवं दो स्थानों पर भण्डारित लगभग 30 टन अवैध कोयला को जप्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं0-23/2024, दिनांक 29/04/2024 है।
- दिनांक 03/05/2024 को हाँसदा इन्टरप्राइजेज, प्रो0 हीरालाल माँझी, पिता स्व0 चोपा माँझी, नियर एस0 आर0 पेट्रॉल पम्प, टाँड़मोहनपुर, बाँधडीह, जिला-बोकारो के पक्ष में बोकारो जिला के पेटरवार थानान्तर्गत, मौजा-पतकी, खाता नं0-24, प्लॉट नं0-96 के रकवा-3.58 एकड़ क्षेत्र पर स्वीकृत पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी के पक्ष में दिया गया।
- दिनांक 06/05/2024 को मेसर्स ज्योति मिनर्ल्स, प्रो0 मोहन लाल जैन, पिता स्व0 श्रीराम जैन, प्लॉट नं0-सी/38, सिटी सेक्टर, सेक्टर-4, बोकारो स्टील सिटी, जिला-बोकारो के पक्ष में बोकारो जिला के पिण्ड्राजोरा थानान्तर्गत, मौजा-केलियाडाबर, खाता नं0-56 एवं 138, प्लॉट नं0-1722, 1721, 1729, 1731(अंश) के रकवा-7.02 एकड़ क्षेत्र पर स्वीकृत पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी के पक्ष में दिया गया।
- दिनांक 03/05/2024 को मेसर्स करनी स्टोन, प्रो0 श्री भगवान सिंह, पिता स्व0 मेघु सिंह, पता-बेरमो सीम, पो0+थाना-बेरमो, जिला-बोकारो के पक्ष में बोकारो जिला के जरीडीह थानान्तर्गत, मौजा-खुंटरी, खाता नं0-24, 66, 60 एवं 86, प्लॉट नं0-10, 02, 2813(अंश), 04, 05, 06, 11 के रकवा-6.00 एकड़ क्षेत्र पर स्वीकृत पत्थर खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पट्टेधारी के पक्ष में दिया गया।



- दिनांक 03/05/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा मेसर्स बाबुलाल इन्टरप्राइजेज, प्रो० श्री बाबुलाल साव, पिता श्री टेकलाल साव, ग्राम-गांगपुर, पो०-बड़कीपुन्नु, थाना-महुआटाँड़, जिला-बोकारो द्वारा पत्थर खनन पट्टा की प्राप्ति हेतु दाखिल आवेदन के बावत बोकारो जिला के महुआटाँड़ थानान्तर्गत, मौजा-चोरगांवा, खाता नं०-15, प्लॉट संख्या-510(अंश) के रकबा-1.50 एकड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
- दिनांक 18/06/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा मेसर्स नायक कन्सट्रक्शन, पार्ट० श्री सुभाष चन्द्र नायक, पिता स्व० भूषण चन्द्र गोराई, ग्राम+पो०-चन्द्रा, थाना-सियालजोरी, जिला-बोकारो द्वारा पत्थर खनन पट्टा की प्राप्ति हेतु दाखिल आवेदन के बावत बोकारो जिला के बरमसिया थानान्तर्गत, मौजा-चण्डीपुर, खाता नं०-18 एवं 36, प्लॉट संख्या-225 से 227, 263, 264(अंश), 265 से 292 एवं 297(अंश) के रकबा-4.77 एकड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
- दिनांक 10/06/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा बोकारो जिला के पेटरवार थानान्तर्गत, Category-II के खेतको-चलकरी बालू घाट रकबा-26.14 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया।
- दिनांक 09/06/2024 को प्रकाशित खबर "हाइवा चालकों की मिलीभगत से हो रही कोयला चोरी" के आलोक में दिनांक 09/06/2024 को खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा गोविन्दपुर फेज- II, OCP के परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन के मामले संज्ञान में आने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को स्वयं ससमय कानूनी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त, बोकारो द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु सभी सदस्यों को सशक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन- अनुमण्डल पदाधिकारी, चास/बेरमो (तेनुघाट), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, चास/बेरमो एवं सभी संबंधित अंचल अधिकारी, बोकारो/सभी संबंधित थाना प्रभारी, जिला-बोकारो)

3. खान निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि माननीय NGT, Principal Bench द्वारा गोमिया अंचल के महुआटाँड़ थानान्तर्गत अवस्थित बालू घाट से हो रहे अवैध बालू खनन पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को उक्त क्षेत्र पर सख्त निगरानी बनाये रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही उक्त क्षेत्र से अवैध बालू खनन संबंधी कोई भी मामला प्रकाश में आने पर नियमानुसार अवैधकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- अंचल अधिकारी, गोमिया एवं थाना प्रभारी, महुआटाँड़)

4. बालू खनिज के संबंध में उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत Category-II बालू घाटों के बन्दोबस्ती के सन्दर्भ में पृच्छा की गई। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत Category II बालू घाटों की बन्दोबस्ती हेतु जिला स्तर पर सभी छः बालू घाटों के Financial Bidding को सम्पन्न कर ली गई है तथा Preferred Bidders की सूची कार्यालय नं० 2052/एम०, दिनांक 23/12/2023 द्वारा



JSMDC, Ranchi को उपलब्ध करा दी गई है। JSMDC, Ranchi द्वारा सभी छः बालू घाटों हेतु LOI निर्गत कर दी गई है। वर्णित 06 Category II बालू घाटों के विरुद्ध M/s JSMDC, Ranchi से दिनांक 14/05/2024 को Khetko-Chalkari Sand Ghat, दिनांक 17/05/2024 को Chalkari Sand Ghat एवं दिनांक 30/05/2024 को Pichri-2 Sand Ghat का माईनिंग प्लान अनुमोदन हेतु दाखिल किया गया था, जिसके संशोधन हेतु कार्यालय पत्रांक 803/खनन, दिनांक 17/05/2024 (Khetko-Chalkari Sand Ghat), कार्यालय पत्रांक 859/खनन, दिनांक 30/05/2024 (Chalkari Sand Ghat) एवं कार्यालय पत्रांक 858/खनन, दिनांक 30/05/2024 (Pichri-2 Sand Ghat) द्वारा M/s JSMDC, Ranchi को उपलब्ध करा दी गई है तथा शेष 03 बालू घाट क्रमशः Chalkari, Hosir एवं Hosir-Dhendhe का अनुमोदन हेतु माईनिंग प्लान दाखिल नहीं किया गया है। प्रभारी, बालू, झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0, राँची के पत्रांक 1309, दिनांक 06/06/2024 द्वारा Khetko-Chalkari Sand Ghat के त्रुटियों का निराकरण कर माईनिंग प्लान उपलब्ध कराया गया है, जिसे कार्यालय पत्रांक 886, दिनांक 08/06/2024 द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा विभागीय निदेशानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि चन्दनकियारी अंचल अन्तर्गत सिंह बस्ती के पीछे पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर अवैध रूप से भण्डारित 15000 घनफीट बालू एवं चन्दनकियारी (भोजुडीह ओपी0) थानान्तर्गत दामोदरपुर बस्ती के पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर अवैध रूप से भण्डारित 32000 घनफीट बालू की निलामी दिनांक 24/01/2024 को की गई जिसमें उच्चतम डाक की राशि क्रमशः 20,00,000/- एवं 20,50,000/- रू0 थी, जिसकी वसूली कर ली गई है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा ऐसे मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी संबंधित सदस्यों को दिया गया।

**(अनुपालन-जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो)**

5. **लघु खनिज पत्थर** के सन्दर्भ में खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि बोकारो जिला हेतु DSR (पत्थर) SEIAA द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है एवं लघु खनन पट्टों हेतु Environment Clearance निर्गत की जा रही है। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत लघु खनिज पत्थर के खनन पट्टों में लम्बित आवेदन पत्रों के निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा प्राप्त आवेदनों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

**(अनुपालन-जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो / संबंधित अंचल अधिकारी, बोकारो)**

6. खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि कार्यालय पत्रांक 2193/एम0, दिनांक 13/12/2022 एवं पत्रांक 875/एम0, दिनांक 17/04/2023 के द्वारा सभी संबंधित कार्य विभाग को वैध रूप से लघु खनिजों को प्राप्त कर निर्माण कार्यों में उपयोग करने हेतु पत्र निर्गत है, जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत कार्यरत सभी कार्य विभाग द्वारा क्रियान्वित/प्रस्तावित असैनिक निर्माण कार्य एवं अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय योजनाओं में अनुमानित लघु खनिजों की आवश्यकता से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया, ताकि Demand एवं Supply Gap का आकलन कर वैध श्रोत से लघु खनिजों की आपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

**(अनुपालन-सभी कार्य विभाग / जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो)**



7. उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत स्थापित क्रशर यूनिटों एवं खनिज आधारित End Use Plant का क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद द्वारा निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में पृच्छा किया गया। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि कतिपय मामलों में कार्रवाई की गई है। विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु कार्यालय झापांक 2032/खनन, दिनांक 16/12/2023 द्वारा दिनांक 30/11/2023 द्वारा पत्र क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद को निर्गत है, जिसपर अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत संचालित सभी क्रशर इकाईयों का फ़ैक्ट्री लाईसेंस सत्यापित करते हुए उक्त इकाईयों को निर्गत सी0टी0ओ0 में वर्णित शर्तों एवं बन्धेजों के आलोक में जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद एवं कारखाना निरीक्षक, बोकारो को दिया गया। इसके अतिरिक्त जिलान्तर्गत संचालित रेलवे साईडिंग का जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन-क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, धनबाद/कारखाना निरीक्षक, बोकारो)

8. उपायुक्त, बोकारो द्वारा पूर्व के बैठकों में Abandoned Coal Mines से किसी भी रूप में कोयला खनिज का अनाधिकृत उत्खनन एवं प्रेषण न हो, के सन्दर्भ में दिये गये निर्देशों के आलोक में की गई कार्रवाई के संबंध में पृच्छा की गई। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि बी0 एण्ड के0 एरिया के DR&RD परियोजना बोकारो एवं करगली में ग्राम-चलकरी के समीप अनाधिकृत रूप से कोयला उत्खनन की शिकायत पर उक्त स्थल का निरीक्षण दिनांक 09/04/2024 को किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि विषयांकित क्षेत्र DR&RD परियोजना बोकारो एवं करगली, सर्वश्री सी0सी0एल0 के अधिकृत भूमि के अन्तर्गत है। उक्त स्थल पर कई भूमिगत सुरंगों के माध्यम से अनाधिकृत रूप से कोयले का उत्खनन किये जाने का प्रमाण पाया गया है। इस सन्दर्भ में कार्यालय पत्रांक 689/खनन, दिनांक 10/04/2024 द्वारा महाप्रबन्धक, बी0 एण्ड के0 एरिया को पत्र निर्गत किया गया है, जिसपर महाप्रबन्धक, बी0 एण्ड के0 एरिया ने अपने कार्यालय पत्रांक 47, दिनांक 29/05/2024 द्वारा सूचित किया है कि भूमिगत सुरंगों को मिट्टी से भरने की कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा महाप्रबन्धक, बी0 एण्ड के0 एरिया को इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, बोकारो द्वारा सभी कोल महाप्रबन्धक, जिला-बोकारो को अगली बैठक के पूर्व गत बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया। उपायुक्त, बोकारो द्वारा Mine Closure Plan के तहत खनन कार्य करते हुए लीज अन्तर्गत अनाधिकृत प्रवेश/कोयला के अवैध उत्खनन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए माहवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो को मेसर्स सी0सी0एल0 एवं बी0सी0सी0एल0 प्रबन्धन के साथ बैठक कर कोयला खनिज के अवैध खनन/परिवहन के रोकथाम की दिशा में संबंधित प्रबन्धन द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।



(अनुपालन-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/संबंधित अंचल अधिकारी/सभी महाप्रबन्धक/  
सभी परियोजना पदाधिकारी, सी0सी0एल0 एवं बी0सी0सी0एल0, जिला-बोकारो)

9. उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत अवस्थित सभी कोलियरियों के संचालन के सन्दर्भ में पृच्छा की गई, जिसपर खान निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में 11 कोलियरी कार्यरत हैं। उपायुक्त, बोकारो द्वारा ढोरी एरिया, कथारा एरिया एवं बी0 एण्ड के0 एरिया में Abandoned Coal Mines की सूची प्राप्त करते हुए Reclamation अथवा खनन कार्य प्रारम्भ करने के सन्दर्भ में प्रतिवेदन संबंधित महाप्रबन्धक से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन - जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो)

10. उपायुक्त, बोकारो द्वारा बोकारो स्टील प्लान्ट में असैनिक निर्माण कार्य में उपयोग किये जा रहे लघु खनिजों के बावत उचित दर से राजस्व का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में कार्यालय पत्रांक 55/एम0, दिनांक 05/01/2024 द्वारा ED Projects, BSL से प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने के सन्दर्भ में पृच्छा की गई। खान निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि BSL प्रबन्धन से अद्यावधि प्रतिवेदन अप्राप्त है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा इस सन्दर्भ में स्मार पत्र निर्गत करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन - जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो)

11. उपायुक्त, बोकारो द्वारा रेलवे रैक के माध्यम से कोयला खनिज के प्रेषण में E-Transit Challan के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में पृच्छा की गई। इसपर बैठक में उपस्थित रेलवे साईडिंग के प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया कि रेलवे रैक के माध्यम से कोयला खनिज का प्रेषण में शत-प्रतिशत E-Transit Challan का उपयोग सुनिश्चित कराया जा रहा है। उपायुक्त, बोकारो द्वारा निर्देश दिया गया कि रेलवे रैक के माध्यम से कोयला खनिज का प्रेषण में शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान का उपयोग सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में बिना ई-परिवहन चालान के रेलवे रैक से खनिजों के प्रेषण की अनुमति नहीं दी जाय। उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत संचालित कोल परियोजनाओं से कोयला खनिज के प्रेषण में शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान के उपयोगिता के संबंध में शपथ पत्र संबंधित परियोजना पदाधिकारी से प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

खान निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि JSR Enterprises को सहायक वाणिज्य प्रबन्धक (सा.)/आद्रा कृते वणिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक (सम.)/आद्रा के पत्रांक C206/Wagon Cleaning/Work Order/06/24, दिनांक 06/06/2024 के द्वारा खाली पड़े वैगनों की सफाई से प्राप्त अनुपयोगी सामग्री (खनिजों के अवशेष सहित) को रेल परिसर से बाहर उपयोग में लाये जाने की अनुमति रेलवे के NINFRIS Policy के तहत प्राप्त है। बैठक में रेलवे वैगन की सफाई से प्राप्त खनिजों के प्रेषण हेतु संबंधित रेलवे प्रबन्धन से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त JIMMS Portal के Procurement Link के माध्यम से प्री-पेड चालान निर्गत करने हेतु निर्णय लिया गया।

(अनुपालन - संबंधित रेलवे प्रबन्धन एवं टास्क फोर्स कमेटी, बोकारो)

12. उपायुक्त, बोकारो द्वारा रेलवे रैक के माध्यम से कोयला खनिज के प्रेषण में E-Transit Challan के कार्यान्वयन के सन्दर्भ में पृच्छा की गई। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि माह अक्टूबर, 2023 में



रेलवे रैक के माध्यम से प्रेषित कोयला खनिज हेतु शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान का उपयोग के सन्दर्भ में संबंधित रेलवे साईडिंग से प्रतिवेदन प्राप्त है।

माह मई, 2024 का संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जो निम्न प्रकार है :-

Sl. No.	Railway Siding	Total No. of Rake	Total No. of Challan	Qty. As per RR (MT)	Qty. As per Challan (MT)	Difference in Qty. (MT)
1	Bermo Goods Shed	0	0	0	0	0
2	Bokaro Goods Shed (BKEC & BKSC)	26	67	104334.9	104367.26	32.36
3	Dugda Goods Shed	16	46	61405.63	61420.58	14.95
	Total	42	113	165740.53	165787.84	47.31

उपायुक्त, बोकारो द्वारा सभी संबंधित रेलवे के पदाधिकारी/कर्मचारी को रेलवे गुड्स शेड से प्रेषित कोयला खनिज में शत प्रतिशत ई-परिवहन चालान के उपयोग हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए माहवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उपायुक्त द्वारा जिलान्तर्गत संचालित कोल परियोजनाओं के सभी परियोजना पदाधिकारियों से कोयला खनिज के प्रेषण में शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान की उपयोगिता के सन्दर्भ में शपथ पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन - जिला खनन पदाधिकारी/संबंधित रेलवे प्रबन्धन/सभी परियोजना पदाधिकारी, सर्वश्री सी0सी0एल0 एवं टास्क फोर्स कमिटी, बोकारो)

13. उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत संचालित कोल परियोजना प्रबन्धन द्वारा पट्टा क्षेत्र से अनाधिकृत कोयला खनिज का उत्खनन एवं प्रेषण के मामलों में संबंधित कोलियरी प्रबन्धन द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन के सन्दर्भ में पृच्छा की गई। इस संबंध में खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा बताया गया कि (1) दामोदा कोलियरी के पत्रांक 702, दिनांक 18/06/2024 द्वारा सूचित किया गया है कि कोलियरी के पीछे बंद भूमिगत खदानों के आस-पास दामोदा कोलियरी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दिन-रात निगरानी रखी जा रही है। किसी भी तरह के रैट होल ओपनिंग की सूचना मिलने पर उसे तत्काल बंद कर दिया जाता है। CISF की QRT टीम द्वारा अनाधिकृत प्रवेश, कोयले के अवैध उत्खनन/परिवहन, कोयला चोरी को रोकने के लिए 24 घन्टे माईस की पेट्रोलिंग की जा रही है। दामोदा कोलियरी से कोयले का प्रेषण शत-प्रतिशत ई-परिवहन चालान से ही हो रहा है। आउटसोर्सिंग पैच में CCTV कैमरे लगाये गये हैं। कोयले की चोरी को रोकने के लिए जगह-जगह वार्निंग बोर्ड्स अधिस्थापित किये गये हैं। कोयले का प्रेषण Welghbridge एवं ई-चालान के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दामोदा कोलियरी से कोयले के अवैध खनन एवं प्रेषण को रोकने के लिए समय-समय पर स्थानीय प्रशासन एवं औद्योगिक सुरक्षा बल के सहयोग से छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। वर्तमान में सर्वश्री सी0सी0एल0 से अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

इसपर उपायुक्त, बोकारो द्वारा सभी कोल परियोजनाओं को अपने क्षेत्रान्तर्गत कोयले के अवैध उत्खनन एवं प्रेषण के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन माहवार उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।



(अनुपालन- सभी महाप्रबन्धक/सभी परियोजना पदाधिकारी, सर्वश्री सी0सी0एल0 एवं बी0सी0सी0एल0, जिला-बोकारो)

14. उपायुक्त, बोकारो द्वारा जिलान्तर्गत वन क्षेत्र में अवैध खनन संबंधी शिकायतों एवं कार्रवाई के संबंध में पृच्छा की गई एवं वन क्षेत्र में आवश्यक निगरानी बनाये रखने एवं अवैध खनन संबंधी मामले पाये जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ज्ञापांक 1006 / खनन बोकारो  
प्रतिलिपि:- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१३/११  
उपायुक्त, बोकारो।

दिनांक 03/07/24

१३/११  
उपायुक्त, बोकारो।






उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।  
(खनन शाखा)

—:आदेश:—

माननीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा O.A.No. 120/2016/EZ में पारित न्यायादेश के अनुपालन में तथा Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 के प्रावधानों के अनुसार झारखण्ड राज्य में वर्षा ऋतु के दौरान (10 जून से 15 अक्टूबर तक) प्रति वर्ष नदियों से बालू का उठाव प्रतिबंधित है। अतएव बोकारो जिला के विभिन्न नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव एवं प्रेषण पर प्रभावी अंकुश लगाना अति-आवश्यक है। अवैध रूप से बालू खनन एवं प्रेषण करना सरकारी सम्पत्ति की चोरी है, जिससे राजस्व की क्षति एवं पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।


खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु सचिव खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 961/एम0, दिनांक 06.06.2024 द्वारा भी निदेश प्राप्त है, जिसके अनुपालन में जिलान्तर्गत बालू सहित सभी खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। उक्त के आलोक में निम्न निदेश दिये जाते हैं:—


1. पुलिस अधीक्षक, बोकारो द्वारा तत्काल प्रभाव से जिला नियंत्रण-कक्ष में 1/6 की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया जायेगा। यह बल स्थायी रूप में अवैध खनन, परिवहन/भंडारण की रोकथाम हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेंगे। (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, चास/बेरमो, तेनुघाट, बोकारो, (2) जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो, (3) जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो, (4) क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, बोकारो एवं अन्य प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जिले में बालू/पत्थर एवं अन्य खनिजों के अवैध खनन/परिवहन/भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में तैनात पुलिस बल प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु किसी पुर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
2. खनिजों के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण के रोकथाम हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 संशोधित 2007 के नियम-54 एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 11(i) के तहत राज्य सरकार द्वारा सक्षम पदाधिकारी घोषित हैं। मुख्य सचिव के पत्रांक 1273/एम0, दिनांक 28.07.2010 द्वारा अनुमण्डल स्तर पर चल रहे अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के रोकथाम की पूरी जिम्मेवारी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी की तय की गई है। अतएव उक्त के आलोक में अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/संबंधित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/सहायक वन संरक्षक/वन क्षेत्र पदाधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत अवैध कोयला, बालू, पत्थर आदि के उत्खनन/भंडारण स्थल/परिवहन कार्य को चिन्हित करते हुए नियमानुसार अवैध खनिकर्म एवं परिवहन में संलिप्त औजार/वाहन/मशीनरी एवं खनिजों को जप्त कर अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण के लिए वन विभाग के अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारी (ACF)/वन परिसर पदाधिकारी जबावदेह होंगे।



3. अंचल स्तर पर अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण पर रोकथाम हेतु संबंधित अंचलाधिकारी, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (संशोधित 2007) के नियम-54 के तहत एवं उपायुक्त, बोकारो के आदेश ज्ञापांक 211/खनन, दिनांक 01.02.2022 द्वारा The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rule, 2017 के नियम 11(i) के तहत सक्षम पदाधिकारी घोषित हैं। उक्त के आलोक में संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उक्त अंचल/थानान्तर्गत कोयला, बालू, पत्थर आदि के अवैध खनन/परिवहन एवं भंडारण को चिन्हित कर नियमानुसार अवैध खनिकर्म में संलिप्त औजार/मशीनरी उपकरण/वाहन एवं खनिजों को जप्त कर अवैधकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी व वन क्षेत्र के लिए वन विभाग के क्षेत्रीय वन पदाधिकारी किसी भी तरह की अवैध खनन हेतु जबाबदेह होंगे। थाना प्रभारी संबंधित अंचलाधिकारी को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त अनुदेशों का पालन दृढ़तापूर्वक करना सुनिश्चित करेंगे।


  
21.6.24  
जिला खनन पदाधिकारी  
बोकारो

  
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक ..... 995 / बोकारो, दिनांक 02/07/2024

- प्रतिलिपि:- 1. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो/वन्य प्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वन क्षेत्र एवं पारिस्थिकी संवेदी जोन (ESZ) अन्तर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाय।
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, चास/बेरमो, तेनुघाट, बोकारो/क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, बोकारो, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बोकारो/सभी पुलिस उपाधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी अंचलाधिकारी/सभी थाना प्रभारी, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
21.6.24  
जिला खनन पदाधिकारी  
बोकारो


  
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक ..... 995 / बोकारो, दिनांक 02/07/2024

- प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु जिला नियंत्रण कक्ष में 1/6 की संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त करते हुए सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, बोकारो, सभी थाना प्रभारी, जिला-बोकारो को इस संबंध में निदेशित करने की कृपा की जाय।



  
21.6.24  
जिला खनन पदाधिकारी  
बोकारो

  
उपायुक्त, बोकारो।

जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल के महुआटाँड़ थानान्तर्गत बालू के अवैध परिवहन के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	अभ्युक्ति
600 घनफीट	06	0	60,000	दिनांक 19/03/2018 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त कुल छः ट्रैक्टरों से रू0 60,000/- की वसूली की गई है।
200 घनफीट	02	0	20,000	दिनांक 03/10/2018 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त कुल छः ट्रैक्टरों से रू0 20,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	0	10,000	दिनांक 06/10/2018 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त कुल छः ट्रैक्टरों से रू0 10,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	0	10,000	दिनांक 01/01/2019 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त एक ट्रैक्टर से रू0 10,000/- की वसूली की गई है।
200 घनफीट	02	0	20,000	दिनांक 03/07/2019 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त कुल दो ट्रैक्टरों से रू0 20,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	0	10,000	दिनांक 06/05/2020 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त एक ट्रैक्टर से रू0 10,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	0	10,000	दिनांक 18/05/2020 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त एक ट्रैक्टर से रू0 10,000/- की वसूली की गई है।
500 घनफीट	05	0		दिनांक 29/05/2020 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त



				कुल दो ट्रैक्टरों से रू0 50,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	0	10,000	दिनांक 30/06/2020 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त एक ट्रैक्टर से रू0 10,000/- की वसूली की गई है।
300 घनफीट	03	0	30,000	दिनांक 25/02/2022 को बालू के अवैध परिवहन के बावत महुआटाँड़ थाना में जप्त एक ट्रैक्टर से रू0 30,000/- की वसूली की गई है।
100 घनफीट	01	01	0	बालू के अवैध परिवहन के बावत प्रभारी खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 07/10/2020 को महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
100 घनफीट	01	01	0	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा दिनांक 29/08/23 को 100 घनफीट अवैध बालू लदे 01 ट्रैक्टर को जप्त कर महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।
300 घनफीट	03	01	0	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा 100-100 घनफीट बालू लदे 03 ट्रैक्टरों को जप्त कर दिनांक 15/12/2023 को महुआटाँड़ थाना में काण्ड सं0-43/23, दिनांक 15/12/23 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है।
30 घनफीट	01	01	0	खान निरीक्षक, बोकारो द्वारा 30 घनफीट बालू लदे 01 ट्रैक्टर को जप्त कर दिनांक 03/05/2024 को महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना काण्ड सं0-21/2024, दिनांक 03/05/24 है।





**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।**  
(खनन शाखा)

पत्रांक .....675...../खनन

बोकारो

दिनांक 09/04/24

प्रेषक,

उपायुक्त,  
बोकारो।

सेवा में,

क्षेत्रीय पदाधिकारी,  
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,  
धनबाद।

विषय :- माननीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में वाद O.A. No.181/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में वाद O.A. No.181/2023/EZ में पारित आदेश के अनुपालन में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स द्वारा उक्त वाद से संबंधित मामले में बालू खनिज के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण के विरुद्ध MMDR Act, 1957 and rules made thereunder तथा IPC के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, जिसकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः निदेश दिया जाता है कि उक्त सूची के अनुसार Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 एवं The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त वाद में माननीय NGT, Eastern Bench, Kolkata में इससे संबंधित प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

*[Signature]*  
उपायुक्त, बोकारो।



17

239

जिला खनन कार्यालय, बोकारो।

गोमिया अंचल अन्तर्गत अवैध बालू के बावत की गई कार्रवाई की विवरणी।

खनिज	मात्रा	वाहन	FIR	वसूली	अभ्युक्ति
बालू	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 677/रा0, दिनांक 27/07/2022 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	70 घनफीट	01	0	10,000	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 1010, दिनांक 09/10/2022 के आलोक में 70 घनफीट बालू लदे ट्रैक्टर से 10,000/- ₹0 की वसूली की गई।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 129/रा0, दिनांक 03/02/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	1	00	अंचल अधिकारी, गोमिया ने अपने पत्रांक 557/रा0, दिनांक 26/04/2023 द्वारा सूचित किया है कि 100 घनफीट बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर आई0ई0एल0 गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया का ज्ञापांक 277, दिनांक 20/02/23
	70 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 427/रा0, दिनांक 25/05/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 03 टन बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 564/रा0, दिनांक 29/04/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि 100 घनफीट बालू लदे 1 ट्रैक्टर को जप्त कर गोमिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका थाना काण्ड संख्या-38/23, दिनांक 29/04/2023 है।



	100 घनफीट	01	01	00	अंचल अधिकारी, गोमिया के पत्रांक 912, दिनांक 25/07/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि बालू लदे एक ट्रैक्टर को जप्त कर रहावन ओपी0 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
	100 घनफीट	01	01	00	खान निरीक्षक द्वारा दिनांक 29/08/23 को 100 घनफीट अवैध बालू लदे 01 ट्रैक्टर को जप्त कर महुआटाँड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई।



Annexure-E-Series

## Details of Sand Ghats – Category I

DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	Pindra_Tulbul_Sand Ghat	Bokaro	Gomia	Pindra		35, 16, 34, 753, 769, 1, 819	16.92
				Tulbul		819, 1	
2	Bokaro Steel City Sand Ghat	Damodar	Chas	Bokaro Steel City		308, 1, 45	10.31
3	Barkipunu Sand Ghat	Damodar	Gomia	Barkipunu		3678, 4033, 3677	14.96
4	Chakulya Sand Ghat	Ishri	Chas	Chakulya	217	2446, 884	6.47
5	Khatka Sand Ghat	Garga	Chas	Katka	114	169	7.61
6	Sarjori_Harayak_Udwa_Sand Ghat	Ishri	Chandankiyari	Saharjori, Harayak, Udwa			8.6



**DISTRICT MINING OFFICE, BOKARO**

**Details of Sand Ghats – Category A Sand Ghats**

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	पिछरी 2	दामोदर नदी	पेटरवार	पिछरी 2	237	1	4.72
2	चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	चलकरी	225	938	8.22

**Details of Sand Ghats – Category B Sand Ghats**

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	चलकरी	225	1474	42.00
2	खेतको चलकरी	दामोदर नदी	पेटरवार	खेतको चलकरी	120, 225	2470, 4149	26.14
3	होसिर डेन्डे	बोकारो नदी	पेटरवार	होसिर डेन्डे	111, 458, 11	609, 1451, 1550, 1452	42.00
4	होसिर	बोकारो नदी	गोमिया	होसिर	458	5381, 5567	42.00

**Details of Sand Ghats – Category C Sand Ghats**

Sl. No.	Name of Sand Ghat	River	Block	Mouza	Khata No.	Plot No.	Area (Ha.)
1	चाँपी, खेतको	दामोदर नदी	पेटरवार	चाँपी, खेतको	86, 120	1, 689	52.40



(19)

(237)



झारखण्ड सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।  
(खनन शाखा)

आदेश

राज्य अन्तर्गत बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। बोकारो जिलान्तर्गत बालू उत्खनन हेतु तैयार किये गये जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) में उक्त पॉलिसी के अनुसार Category-I एवं Category-II बालू घाटों को वर्गीकृत किया गया है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) को अनुमोदन करते हुए उसकी सूचना सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 53, राँची, दिनांक 28.04.2023 से प्राप्त है। जिलान्तर्गत कुल 06 Category-I बालू घाटों का चयन Empanelled Agency द्वारा किया गया है, जिसकी सूची (अनुलग्नक-‘क’) संलग्न है।

संचालन

2. खान आयुक्त, झारखण्ड, राँची के पत्रांक- खा0नि0(विविध)-169/2017/219/एम0, दिनांक 24.01.2018 (अनुलग्नक-‘ख’) द्वारा Category-I अन्तर्गत पड़ने वाले बालू घाटों का संचालन The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के कंडिका-03 के अनुसार ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा समिति द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है, जिसके संचालन हेतु प्रखंड स्तरीय समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

- (1) संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी (अध्यक्ष),
- (2) संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी,
- (3) संबंधित अंचल निरीक्षक।

संबंधित अंचल अधिकारी को अपने क्षेत्रन्तर्गत पर्यवेक्षण हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी नामित किया जाता है, वे चयनित Category-I बालूघाटों का सीमांकन करने का कार्य करेंगे। उक्त कार्य हेतु आवश्यक सहयोग सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो प्रदान करेंगी।

पंचायत स्तर पर बालू घाटों का संचालन हेतु गठित समिति में निम्नांकित सदस्य रहेंगे :-

- (1) मुखिया (अध्यक्ष)
- (2) उप मुखिया,
- (3) पंचायत सचिव,
- (4) पाँच सदस्यीय सदस्य शामिल रहेंगे।



क्रमांक 4 के सदस्य 'The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 की धारा 71 के तहत गठित स्थायी समिति, सार्वजनिक सम्पदा समिति के तहत क्रियाशील रहेंगे।

### शर्तें

3. बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यावसायिक, सागुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा। इन बालू घाटों में बालू के उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में गशीन, पोकलेन, जे0सी0वी0 आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा बालू के परिवहन के लिए ट्रेक्टर को छोड़कर किसी भी अन्य भारी वाहन, हाईवा, ट्रक आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उसका भण्डारण नहीं किया जायेगा।
  4. Category-I में पड़ने वाले बालूघाटों को तथापि Para 7-(1)-(B) of Part-II Section-3 Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette No. 125 of MoEF & CC, Government of India, New Delhi, dated-15, January, 2016 (अनुलग्नक-‘ग’) के आलोक में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से छूट रहेंगी, परन्तु ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन की यह जवाबदेही होगी कि वह सिर्फ सीमांकित क्षेत्र (DSR के अनुसार) से ही बालू का उठाव करेंगे।
  5. बालू घाटों से उठाये गये बालू किसी भी प्रकार के स्वामित्व कर आदि से मुक्त होगा। बालू घाटों का पहुँचपथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा लिया जायेगा, जो कि 100 रुपये प्रति 100 घनफीट की दर से सरकार द्वारा निर्धारित है। इस प्रकार एकत्र राशि का उपयोग संधारण, अंकेक्षण आदि The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के अनुसार किया जायेगा।
  6. बालू प्राप्तकर्ता को एक प्राप्ति-सह-संचालन स्लिप ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत किया जायेगा, उक्त कार्य हेतु पंचायत स्तरीय समिति अपने किसी सदस्य को प्राधिकृत करेंगे एवं इस संदर्भ में संबंधित अंचल अधिकारी को पूर्व में ही सूचित करेंगे। "प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप" का तीन प्रतियों में संधारण किया जायेगा (अनुलग्नक-‘घ’ में संलग्न), जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के पास, एक प्रति बालू खनिज प्राप्तकर्ता के पास तथा एक प्रति प्राधिकृत पर्यवेक्षण (अंचल अधिकारी) के लिए होगा। प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप को तीन प्रतियों में क्रमांक संख्या (SI. No) के साथ छपवाते हुए संबंधित पंचायत को जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- बालू घाट से प्राप्त राजस्व का अलग से बैंक खाता खोलकर संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। बालू से प्राप्त होने वाली संधारण राशि कोष में जमा करने की जिम्मेवारी संबंधित पंचायत सचिव की होगी।



0. भौगोलिक काल में मासिकीय NCI' के आवेष्ट व खनन, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के निदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि में किसी भी परिस्थिति में बालू घाटों से बालू का उठाव नहीं होगा। Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 के Appendix: Table- 9 के अनुसार झारखण्ड राज्य के लिए यह अवधि प्रत्येक वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक है।
0. सभी संबंधित ग्राम पंचायत समिति के अधिका 'The Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 के द्वारा 01 एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत यह सुनिश्चित करायेंगे कि: Category-I बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव न हो।
10. संबंधित पंचायत स्तर समिति उखानित बालू की मात्रा, समाहरण की गई राशि की विवरणी इत्यादि का प्रतिवेदन (प्रतिमाह) अगले महीने की 10 वीं तारीख तक अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बोकारो एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को अनुलग्नक- 'ब' में संलग्न प्रपत्र में समर्पित करेंगे।
11. पंचायत स्तर समिति द्वारा बालू-प्राप्ति हेतु आवेदनों का एक पंजी का संधारण किया जायेगा, जिसमें बालू उठाव से संबंधित विवरणी इत्यादि की जाएगी तथा उक्त पंजी में प्रविष्टि करने के पश्चात् ही किसी ट्रेक्टर को बालू उठाव हेतु घाट में जाने की अनुमति दी जाएगी। पंजी का नमूना अनुलग्नक- 'ब' में संलग्न। बालू प्राप्ति हेतु आवेदक द्वारा आवेदन मुखिया/उपमुखिया या पंचायत सचिव को समर्पित किया जायेगा। यथा आवश्यक विशेषतः सरकारी योजनाओं में बालू की आवश्यकता से संबंधित बालू प्राप्ति हेतु आवेदन उक्त पंचायत स्तरीय समिति के अतिरिक्त संबंधित अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भी दिया जा सकेगा, जो कि आवश्यक कार्रवाई हेतु पंचायत स्तरीय समिति को अग्रसारित किया जा सकेगा।
12. इन बालू घाटों से बालू का उठाव की अधिकतम गहराई स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो 03 मीटर से अधिक नहीं होगा। बालू घाटों पर एक समय पर अत्यधिक ट्रेक्टरों का जमावड़ा नहीं लगे इस संबंध में स्थानीय परिस्थिति भौगोलिक संरचना के आधार पर पंचायत स्तर समिति द्वारा संख्या निर्धारित की जाएगी, जो 10 से अधिक नहीं होगा।
13. प्रखण्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय समिति अपने क्षेत्रन्तर्गत Category-I बालू घाटों का प्रचार-प्रसार करेंगे एवं उपयोगिता के संबंध में आमजनों को अवगत करायेंगे। प्रखण्ड स्तरीय समिति एवं पंचायत स्तरीय समिति सभी पंचायत भवनों में एवं अंचल व प्रखण्ड कार्यालय में Category-I बालू घाट के विवरण को अतिरिक्त Wall painting कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. शक्ति (सुरक्षा से पूर्वोक्त) में संबंधित बालू घाटों से बालू उठाव पर प्रतिबंध रहेगा।
16. संबंधित पंचायत स्तर समिति अपने Category-I बालू घाट पर एक नामपट्ट निम्नलिखित सूचनाओं के साथ प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।  
1. Category-I बालू घाट का नाम, अंचल, गौजा, खारा, प्लॉट एवं रजिस्ट्रार।



- ii ग्राम पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नम्बर।  
 iii अबतक कुल निष्काशित खनिजों का आयतन।  
 iv पर्यवेक्षण पदाधिकारी का नाम एवं मोबाईल नम्बर।
16. उपरोक्त किन्हीं शर्तों का उल्लंघन होने पर संबंधित पंचायत स्तरीय समिति एवं संबंधित मुखिया की जबाबदेही तय करते हुए प्रभावी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी।
17. Category-I बालू घाटों में समय-समय पर खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अन्य कोई विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची, एवं मननीय NGT द्वारा बालू घाटों के संचालन के संदर्भ में निर्गत आदेश स्वतः लागू होंगे।
18. Category-I बालू घाटों का संचालन हेतु The Jharkhand State Sand Mining Policy, 2017 के सभी शर्तें लागू होंगे, जो निम्न प्रकार है:-

### 3. Management of Sand Deposits of Category-1 Streams/Rivers:

- The sand deposits of Category-1 stream/rivers will be kept fully free from domain of grant of mining lease.
- The sand from this category can be used only for non-commercial purposes such as domestic purpose, Community purposes, Government Sponsored Schemes etc. or as defined in Appendix - IX of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India New Delhi dated 15 January, 2016.
- Gram Panchayat/Local Self Government shall be responsible for supervision of sand collection from such area.
- There shall be no transfer or subletting of the sand deposits from these Streams/Rivers.
- The sand from these Streams/Rivers shall be free from any taxes, royalty or levy.
- For the purpose of maintenance of the approach road, management, supervision etc. a nominal Maintenance Charge shall be levied by Gram Panchayat/Local Self Government per unit volume of sand lifted/collected/dispatched, as per the rate decided by Department of Industries, Mines and Geology, Government of Jharkhand.
- It shall be responsibility of Gram Panchayat/Local Self Government to ensure that sand from these deposits is not used for any commercial purposes and to



regulate the same, a receipt-cumdispatch challan will be issued by the Gram Panchayat/Local Self Government in the format as prescribed by the State.

- h. The maintenance charge so collected shall be deposited in the account of Gram Panchayat/Local Self Government.
  - i. The book keeping of this account shall be maintained by Gram Panchayat/Local Self Government according to prevailing rules and guidelines of the Gram Panchayat/Local Self Government.
  - j. Under no circumstances the sand shall be allowed to be stored from these Streams/Rivers.
  - k. As mentioned in para 7-(i)-(B) of Part-II-Section-3-Sub Section-(ii) of Extraordinary Gazette of MoEF&CC, Government of India, New Delhi dated 15 January, 2016 such usage of sand shall be exempted from environmental clearance.
  - l. This shall be the responsibility of the Gram Panchayat/Local Self-Government to restrict sand mining in prohibited areas as directed by the Department.
  - m. Under no circumstances mechanized lifting of sand shall be allowed from these category of streams/rivers.
  - n. The Deputy Commissioner shall put in place proper administrative/enforcement mechanism to ensure no commercial/illegal extraction of sand from these orders of streams/rivers.
19. उपरोक्त शर्तों में संशोधन एवं किसी अन्य शर्तों को लगाये जाने का विशेष-अधिकार तथा किसी भी मामलें में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपायुक्त, बोकारो का रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के आधार पर जिलान्तर्गत Category-I बालू घाटों से निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए बालू के उठाव पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  
09.05.23  
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक- 961, दिनांक- 16/05/2023

- प्रतिलिपि :-
1. सभी संबंधित मुखिया/पंचायत सचिव, जिला-बोकारो को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
  2. सभी संबंधित प्रखंड समन्वयक, पंचायत स्वशासन परिषद, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



3. सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी संबंधित अंचलाधिकारी, बोकारो जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सहायक निदेशक, भूतत्व, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत समिति को "प्राप्ति-सह-परिचलन स्लिप" को तीन प्रति (triplicate) में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
09.5.23  
उपायुक्त, बोकारो।



Annexure-G


उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, बोकारो  
(गोपनीय शाखा)

:-आदेश:-

बोकारो जिला अन्तर्गत अवैध खनिज के परिवहन के रोकथाम हेतु तेलमोचो बृज, बिरसा पुल, चन्द्रपुरा, बरमसिया, नावाडीह, पेटरवार तथा चंदनकियारी में चेक नाका स्थापित करते हुए चक्रानुसार अगले आदेश तक निम्नवत दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

तेलमच्चो पुल चेकनाका

क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461
2	मंगलवार	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389
3	बुधवार	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9009796696	श्री दीपक कुमार, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903584230	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730
4	गुरुवार	श्री चंदन कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7858991461	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो०-7004416389	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-7004557850
5	शुक्रवार	श्री राजेश कुमार गुप्ता, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903695730	श्री नरेन्द्र नाथ शुक्ला, कनीय अभियंता, चास। मो०-9430312177	श्री विश्वास कुमार महतो, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7870425547
6	शनिवार	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9525928922	श्री अभय कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9835367716	श्री आशीष कुमार, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9334002379



7	रविवार	श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-7004557850	श्री जितेन्द्र कुमार साहु, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9009796696	श्री दीपक कुमार; कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-7903584230
<b>मिर्धा (पिड्डाजोरा) चेकनाका</b>				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो०-8969911010	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9334943548
2	मंगलवार	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-7250846206	श्री राम कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो० 6201425717
3	बुधवार	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-9693307882	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो०-8210550371
4	गुरुवार	श्री राम कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, चास, मो० 6201425717	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-8434512125	श्री मनोज कुमार मिश्रा, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी, बोकारो। मो०-9431169092
5	शुक्रवार	श्री उमेश प्रसाद रेवानी, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-9334943548	श्री कौशिक कात्यायन, कनीय अभियंता (मनरेगा), चास। मो०-9430497825	श्री विशाल कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, बोकारो। मो०-8969911010
6	शनिवार	श्री सरोज मेहता, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रशाखा चास, बोकारो। मो०-8210550371	श्री नौशाद आलम, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चास। मो०-9798910572	श्री संधीर कुमार, कनीय अभियंता, भवन अवर प्रमण्डल, चास। मो०-7250846206



24

22

7	रविवार	श्री विरेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-8434512125	श्री चितरंजन कुमार सिंह, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो०-8770139265	श्री आजाद कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०, बोकारो। मो०-9693307882
<b>बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका</b>				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो०-9931621129	श्री भुवनेश्वर महतो, बी०पी०ओ०, चन्दनकियारी, मो०-7766031164	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि० (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो०-8651953265
2	मंगलवार	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो०-8789661604	डॉ सुमन कुमार, भ्र०पशु चि०पदा०, बरमसिया। मो०-947118422	श्री प्रमोद कुमार, बी०पी०ओ० (मनरेगा), चंदनकियारी। मो०-8789369125
3	बुधवार	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो०-9122703906	डॉ० अमित कुमार अमित, भ्र० पशु चिकित्सा पदा०, चन्दनकियारी। मो०-8986764934	श्री संदीप कुमार, I/C, BTM, चन्दनकियारी। मो०-8102887808
4	गुरुवार	श्री जितेन्द्र कुमार यादव, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो०-7992318486	श्री मेघलाल महतो, कनीय अभियंता, चन्दनकियारी। मो०-9931621129	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो०- 7870107603
5	शुक्रवार	श्री सुरज कुमार, सहायक अभि० (मनरेगा), चन्दनकियारी। मो०-8651953265	श्री अशोक सिंह चौधरी, कनीय अभियंता, (मनरेगा) चन्दनकियारी। मो०-8789661604	श्री भुवनेश्वर महतो, बी०पी०ओ०, चन्दनकियारी, मो०-7766031164
6	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार, बी०पी०ओ० (मनरेगा), चंदनकियारी। मो०-8789369125	श्री संदीप कुमार, I/C, BTM, चन्दनकियारी। मो०-8102887808	डॉ सुमन कुमार, भ्र०पशु चि०पदा०, बरमसिया। मो०-947118422




7	रविवार	श्री जय प्रकाश यादव, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, चन्दनकियारी। मो0- 7870107603	श्री राकेश कुमार, कनीय अभियंता, (15वें वित्त) चन्दनकियारी। मो0-9122703906	डॉ0 अमित कुमार अमित, भ्र0 पशु चिकित्सा पदा0, चन्दनकियारी। मो0-8986764934
<b>चंदनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका</b>				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026
2	मंगलवार	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634	श्री चन्दन कुमार, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451
3	बुधवार	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064
4	गुरुवार	श्री स्वर्णजीत कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7979756026	श्री अमन मल्लिक, शहरी संरचना विशेषज्ञ, चास नगर निगम, चास। मो0-7987858134	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934
5	शुक्रवार	श्री चन्दन कुमार, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-7858991451	श्री मनीराम मुण्डा, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-6200697098	श्री मुकेश कुमार, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7761926968
6	शनिवार	श्री विशाल कुमार, अनुप गुंजन टोप्पो, नगर प्रबंधक, चास नगर निगम, चास। मो0-808456064	श्री राम सुंदर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8340587740	श्री ब्रजेश कुमार राय, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-8210726634



25

(25)

7	रविवार	श्री पवन पाण्डेय, कनीय अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7488003934	श्री दीपक कुजुर, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8987587527	श्री कपिश्वर सिंह, CLTC Municipal Finance, चास नगर निगम, चास। मो0-9905829229
<b>बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका</b>				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9749432917	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900
2	मंगलवार	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009
3	बुधवार	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769	श्री अविक् अंबाला, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चास। मो0-7544099310
4	गुरुवार	श्री गणेश कुमार दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8709873900	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304
5	शुक्रवार	श्री शैलेन्द्र कुमार महतो, प्रति0 कनीय अभियंता, जिला परिषद, बोकारो। मो0-9798172009	श्री अजीत कुमार भट्ट, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9162912205	श्री श्यामाप्रसाद चन्द्र, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, बोकारो। मो0-9749432917
6	शनिवार	श्री राहुल कुमार, CLTC, चास नगर निगम, चास। मो0-6201232304	श्री अमरजीत कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-9210718088	श्री कमल किशोर, सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8969496607



7	रविवार	श्री प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता, चास नगर निगम, चास। मो0-7004894267	श्री हरिन्द्र कुमार पाठक, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-7004367596	श्री शंभु लाल, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो। मो0-8210923769
<b>चन्द्रपुरा चेकनाका</b>				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री कैलाश मराण्डी, प्र0 शिक्षा प्र0 पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-7053343728	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मा0-9852425897
2	मंगलवार	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-8210481519	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो-8340587740
3	बुधवार	श्री सत्येन्द्र नारायण, भ्र0पशु चि0पदा0, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र0 कृषि तकनिकि पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो-9308730583
4	गुरुवार	श्री परमेश्वर महतो, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मो0-8298161054	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803	श्री विश्वनाथ रजक, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-8210481519
5	शुक्रवार	श्री राजकिशोर हाँसदा, कनीय अभियंता, मनरेगा, चन्द्रपुरा मा0-9852425897	श्री कैलाश मराण्डी, प्र0 शिक्षा प्र0 पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो0-7250056933	श्री राकेश कुमार महतो, कनीय अभियंता (15वें वित्त), चन्द्रपुरा। मो0-7053343728
6	शनिवार	श्री रामसुन्दर दास, कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास, चन्द्रपुरा मो-8340587740	श्री प्रमोद कुमार ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, चन्द्रपुरा। मो0-7654828624	श्री शक्ति रविदास, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9608385803



7	रविवार	श्री पप्पु कुमार बाउरी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-8210255260	श्री बबलू सिंह, प्र0 कृषि तकनिकि पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो- 9308730583	श्री सत्येन्द्र नारायण, भ्र0पशु चि0पदा0, चन्द्रपुरा। मो0-9934435365
<b>नावाडीह चेकनाका</b>				
क्र0सं0	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप0 02:00 बजे तक	अप0 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री सत्येन्द्र साह, प्र0सां0 पर्यवेक्षक, नावाडीह। मो0- 6200937506	श्री आशीष रंजन, प्र0 कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, नावाडीह। मो0-9430752205	श्री नवीन कुमार कुल्लू, कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, नावाडीह। मो0-6205396196
2	मंगलवार	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702
3	बुधवार	श्री वरूण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181	श्री सुबोध कु0 प्रजापति, प्र0 समन्वयक (पं0रा0), नावाडीह। मो0-9006970645
4	गुरुवार	मो0 अहमद रजा खान, प्र0 समन्वयक (PMAY- G), नावाडीह। मो0-9334269640	श्री कमलेश कुमार, प्र0 समन्वयक (SBM), नावाडीह। मो0-9905716590	मो0 आकिब अहमद, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रशाखा, नावाडीह। मो0-9430333916
5	शुक्रवार	श्री रामजीवन पासवान, कनीय अभियंता, पथ प्रशाखा, नावाडीह, पथ अवर, प्रमण्डल, बेरमो। मो0-8227999363	श्री विनोद प्रसाद मोदी, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, नावाडीह (चंदनकियारी प्रखण्ड के प्रभार में) मो0-9955190174	कुमार वेंकटेश, बी0पी0ओ0, नावाडीह, मो0-9431745004
6	शनिवार	श्री मोति लाल, BTM, नावाडीह। मो0-9576242135	श्री कमाल अख्तर, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9708528265	श्री राजीव रंजन, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-9608631113



7	रविवार	श्री विश्वनाथ महतो, कनीय अभियंता (मनरेगा), नावाडीह। मो0-7079375702	श्री वरुण कुमार मिश्रा, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-9031894607	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता (15 वें वित्त), नावाडीह। मो0-7479414181
<b>पेटरवार चेकनाका</b>				
क्र०सं०	दिन का नाम	प्रातः 06:00 बजे अप० 02:00 बजे तक	अप० 02:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक
1	सोमवार	श्री धर्मरक्षित विद्यार्थी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 9431326476	श्री कृष्ण चन्द्र दोराई बुरु, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, पेटरवार। मो0- 8809410416	श्री शहदेव कर्मकार, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पेटरवार। मो0-9798968422
2	मंगलवार	मो० कुरबान अली, कनीय अभियंता (15वें वित्त); पेटरवार। मो0- 8002534384	श्री लखिन्द्र कुमार, कनीय अभियंता (15वें वित्त), पेटरवार। मो0- 8969922808	श्री राम कुमार, कनीय अभियंता, पेटरवार। मो0- 6201425717
3	बुधवार	मो० इकबाल, कनीय अभियंता, मनरेगा, पेटरवार। मो0-9546997997	श्री लुटबरण महतो (BTM), पेटरवार। मो0-8228945453	श्री शास्त्री साह, सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल, पेटरवार। मो0-9430308778
4	गुरुवार	श्री धनन्जय कुमार सिंह, प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304633620	श्री अरुण कुमार, सहायक अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो० 8080310040	श्री सुधीर कुमार मांझी, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-8709890986
5	शुक्रवार	श्री देवांशुमान कुमार, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार मो0-9123260082	श्री सुधीर कुमार दास, कनीय अभि०, लघु सिंचाई अनुमंडल, पेटरवार, मो0-7654644556	श्री अनिल लकड़ा, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-6207832702
6	शनिवार	श्री प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9431386592	श्री जियाउद्दीन, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमंडल, धनबाद। मो0-9939361080	श्री अजीत कुमार, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9123233475



27

229

7	रविवार	श्री विष्णु कुमार खानी, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-9304674102	मो0 फिरोज, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7277608538	श्री मनोज कुमार बेदिया, कनीय अभियंता, तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट। मो0-7250223691
---	--------	--	---	---


- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब अपना योगदान जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को देते हुए अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर निर्धारित दिवस एवं समय पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।
- सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी चेक नाका पर खनिज लदे वाहनों की जाँच करेंगे। साथ ही वाहनों में लदे खनिज से संबंधित परिवहन चालान आदि नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही यदि परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन का मामला आता है तो आवश्यक कार्रवाई हेतु इसकी सूचना तुरंत जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो को या उनके कार्यालय में देते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।
- यदि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल के द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निम्नलिखित प्रपत्र में खनिज लदे वाहनों की जाँच से संबंधित प्रतिवेदन जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को उपलब्ध करायेंगे।

विहित प्रपत्र						
प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम :-						
तिथि एवं समय :-						
क्र0सं0	वाहन संख्या	परिवहन चालान वाहन में पाया गया या नहीं	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	अभ्युक्ति

- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन को संकलित कर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे :-

विहित प्रपत्र							
क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	वाहन संख्या	चालान संख्या	चालान वैध है या नहीं। (समय/मात्रा/प्रकार इत्यादि)	खनिज का प्रकार	कृत कार्रवाई	अभ्युक्ति

चेक नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों के सतत, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नवत वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-



क्र०सं०	चेक नाका का नाम	वरीय पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	तेलमच्चो ब्रिज चेकनाका	1. श्रीमती कीर्तिश्री जी, उप विकास आयुक्त, बोकारो। मो०- 6396085524 2. श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, प्रखण्ड विकास पदा०, चास, मो०- 9430345685
2	मिर्धा (पिड्डाजोरा) चेकनाका	1. श्री सादात अनवर, अपर समाहर्ता, बोकारो। मो०- 7808228228 / 9431130478 2. श्री दिलीप कुमार, अंचल अधिकारी, चास। मो०-7463083045
3	बिरसा पुल (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी, चास। मो०-9431126791 2. श्री रामा रविदास, अंचल अधिकारी, चंदनकियारी, मो०- 9572705080
4	चंदनकियारी बंगाल सीमा पेट्रोल पम्प के पास चेकनाका	1. श्री अनिल कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास। मो०- 8210203023 2. श्री अजय कुमार वर्मा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदनकियारी। मो०- 9572118994
5	बरमसिया (चंदनकियारी) चेकनाका	1. श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो, मो०- 9162647069 2. श्रीमती सत्यबाला सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो। मो०-8709895476
6	चन्द्रपुरा चेकनाका	1. श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट। मो०- 9142735905 2. श्री संदीप कुमार मद्देशिया, अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, मो०-8294880301 3. श्रीमती रेणुबाला, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा। मो०-8789015183
7	नावाडीह चेकनाका	1. श्री अनंत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट)। मो० 9631101825 2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी, नावाडीह, मो०-8210027037 3. श्री संजय शांडिल्य, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, मो०-9431503441
8	पेटरवार चेकनाका	1. श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो। मो०- 8292603450 2. श्री ब्रजेश श्रीवास्तव अंचल अधिकारी, पेटरवार, मो०- 8789566643 3. श्री शैलेन्द्र कुमार चौरसिया, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पेटरवार। मो०- 7979853424



सभी प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि संबंधित चेक नाका का औचक निरीक्षण कर चेक नाका में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

(28)

228

- जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो खनन निरीक्षक, बोकारो भी निर्धारित चेक नाका का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।
- पुलिस अधीक्षक, बोकारो खनिज लदे वाहनों की जाँच हेतु सभी चेक नाका पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों के साथ 24X7 पुलिस पदाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

हस्ताक्षर—  
उपायुक्त, बोकारो।

ज्ञापांक 1668/गो,

दिनांक 31.05.2022

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, बोकारो/उप विकास आयुक्त, बोकारो/अपर नगर आयुक्त, चास नगर निगम, चास/अपर समाहर्ता, बोकारो/अनुमंडल पदाधिकारी, चास/बेरमो (तेनुघाट)/जिला परिवहन पदाधिकारी, बोकारो/जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो/श्रीमती मनीषा वत्स, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्रीमती छविवाला बारला, कार्यपालक दंडाधिकारी, बोकारो/श्री सत्येन्द्र नारायण पासवान, कार्यपालक दंडाधिकारी, तेनुघाट/खनन निरीक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

31/5/2022  
उपायुक्त, बोकारो।

